न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 81 / 2017 GCMS No.—2016/00053

1. रामलाल
2. गोपाल

} पुत्रान स्व0 श्री लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3. चन्द्रदेव पारीक पुत्र श्री प्रभूदयाल पारीक, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी बी–59, वनस्थली मार्ग, लालपुरा कॉलोनी, जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्री प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर मित्तल, जाति महाजन, निवासी ए–12, विजय पथ, तिलकनगर, जयपुर ।
2. श्री मनोज मित्तल पुत्र श्री आनन्द शंकर, जाति महाजन, निवासी जी–1, श्वेना गोकुल अपार्टमेन्ट, सुन्दर मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।
3. श्री मोहन स्वरूप सिंघल पुत्र श्री रामजीलाल सिंघल, जाति महाजन, निवासी सुनार गली, भुसावार, कस्बा व तहसील भुसावर, जिला भरतपुर।
4. श्रीमति विमला देवी धर्मपत्नि श्री दुर्गालाल, जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमति हंसा देवी धर्मपत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट, निवासी लीला की ढाणी, ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. श्री राजूलाल
7. श्री राकेश

} पुत्रान स्व0 श्री कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 18.01.2012 तहसीलदार (भू.अ.) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

———————

उपस्थितः–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गोगराज चौधरी एवं सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट 1 लगायत 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.04.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 18.01.2012 जिससे नामान्तरकरण संख्या 44 ग्राम श्रीरामपुरा वास भांकरोटा, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट नं 1 एवं 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.10.2015 को धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल.

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

2 की ओर से श्री गोगराज चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पा0 संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द कृष्ण नागर उपस्थित आये। रेस्पा0 4 लगा0 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पा0 संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार सांगानेर से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2012 नामान्तकरण संख्या 44 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 2 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा अन्य भूमियो के साथ–साथ अपीलांट संख्या 1 व 2 की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जो संवत् 2009 से लेकर आज दिनांक तक निरन्तर पीढी दर पीढी अपीलांट्स के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त चली आ रही है। साबिक खसरा नंबर 2 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा के संवत् 2015 से 2034 के बन्दोबस्त के दौरान नये खसरा नम्बर कुल किता 12 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर बनाये गयें। अपीलांट संख्या 1 व 2 की खातेदारी में अंकित भूमि खसरा 31 रकबा 1.46 हैक्टेयर में से 0.63 है0 भूमि का बेचान वर्ष 1994 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलांट संख्या 3 को कर दिया था। जो कय करने के बाद से मौके पर काबिज काश्त है। नवीन खसरा 31/1 रकबा 0.63 है0 कायम कर उसे अपीलांट संख्या 3 के नाम अंकित किया जा चुका है तथा उक्त खसरा नंबर 31 में शेष बची हुई भूमि 0.83 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में राजस्व भू अभिलेखो में अपीलांट संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है किन्तु फिर भी भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो ने अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 31 के दक्षिणी पूर्वी कोने में एक आयताकार भू भाग जिसका क्षेत्रफल 0.50 है0 है को नक्शे में अवैधानिक रूप से खसरा नंबर 58 रकबा 0.50 है0 रेस्पा0 संख्या 4 लगायत 7 एवं अन्य काश्तकार के नाम अंकित कर दिया। उक्त खसरा नंबर 58 रकबा 0.50 है0 से बनाये गये खसरा नंबर 58/1 व 58/2 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि अवैध रूप से रेस्पा0 4 लगा0 7 ने वर्तमान नक्शा शीट में अवैध रूप से अपने नाम अंकित करवा ली तथा 58/1 रकबा 0.30 है0 भूमि को सुशील कुमार गुप्ता रेस्पा. संख्या 3 को एवं खसरा नंबर 58/2 रकबा 0.20 है0 भूमि को रेस्पा0 संख्या 1 व 2 को बेचान कर दिया। अपीलांट्स ने भूमि वादग्रस्त 58/1 एवं 58/2 में अपने अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 7 एवं अन्य खातेदारो के विरूद्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष दिनांक 27.12.2011 को प्रस्तुत किया उक्त आदेश की प्रति दिनांक 28.12.2011 को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

तहसीलदार सांगानेर को दी गयी जिस पर तहसीलदार सांगानेर ने पटवारी हल्का को बुलाकर उक्त निषेधाज्ञा का आदेश पेंसिल नोट से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा दिया किन्तु फिर भी तहसीलदार सांगानेर ने उक्त समस्त तथ्यो, आदेशो की जानकारी के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया जो न्यायोचित नहीं है। दिनांक 26.09.2015 को रेस्पाडेन्ट्स द्वारा अपीलांट को भूमि पर कब्जा खाली करने को कहा एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में बताया जिस पर अपीलांट्स ने अविलम्ब पटवारी हल्का से जानकारी की तो अपीलांट्स को नामान्तकरण संख्या 44, 45, 47 की जानकारी हुई एवं उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त की। जिसके पश्चात अपीलांट्स द्वारा अविलम्ब दिनांक 07.10.2015 को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 18.01.2012 को निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान आर.आर.डी. 1985 पेज 170, आर.आर.टी. 2009 पेज 1225, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 816, आर.आर.टी. 2005(1) पेज 665 पेश किये।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा दिनांक 29.09.2015 को अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल लेना जाहिर किया है जबकि 18.01.2012 से 29.09.2015 की अवधि का कोई हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया एवं उक्त अवधि में नामान्तकरण की जानकारी नहीं होने का कोई कारण अपीलांट द्वारा बताया गया है। इसलिए अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट द्वारा अपील में यह कही भी नहीं कहा गया कि रजि0 विक्रय पत्र का नामा0 क्यों गलत है । अपीलांट व रेस्पा0 के हक अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में विचाराधीन दावे में तय होगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। वकील रेस्पा0 द्वारा न्यायिक दृष्टान आर.आर.टी. 2018(2) पेज 936, आर.आर.डी. 1976 पेज 10, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 650, आर.आर.टी. 2007(2) एस.सी. पेज 939 पेश किये।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो अनुसार जाहिर किया है अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं अपीलांट्स द्वारा दिनांक 29.09.2015 को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

81/17

अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त हुई। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है एवं अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 44 ग्राम श्रीरामपुरावास भांकरोटा, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण रजि. विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.01.2012 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में विचाराधीन होना अपील में जाहिर किया है। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि पर स्थगन आदेश के बावजूद नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में विचाराधीन वाद की प्रमाणित ऑर्डर शीट के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार भी अपीलाधीन भूमि पर नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं था। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है।अपीलांट द्वारा रजि0 विक्रय पत्र को लेकर आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया जाना जाहिर नहीं किया एवं ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलेक्टर–प्रथम
कलेक्ट्रेट, जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *